वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, न्यायाधीश, हिन्दुस्तान," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 21.12.2025

9 बीघे में अवैध प्लॉटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शनिवार को जोन-1 और जोन-2 में 9 बीघे में फैली अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। जोन–1 के शिवपुर क्षेत्र में रजनीश सिंह 2 बीघा भूमि में, मौजा चौका (चोलापुर) में सन्नी सिंह 2 बीघा और मौजा चौका के भुसौला में प्रमोद पाल ने 1 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृत ले-आउट के अवैध प्लॉटिंग की थी। जोन–2 के सारनाथ क्षेत्र में मौजा मुनारी में अरविंद सिंह ने 4 बीघा भूमि में बिना स्वीकृत ले-आउट के अवैध प्लॉटिंग की, जिसे ध्वस्त कराया गया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 21.12.2025

लापरवाही में कार्यदायी संस्था मेसर्स रवींद्र चौधरी को नोटिस

शिवपुर मिनी स्टेडियम का 6.15 करोड़ रुपये में हो रहा जीर्णोद्धार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शिवपुर मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार आठ महीने में 18 प्रतिशत होने और लापरवाही बरतने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कार्यदायी संस्था मेसर्स रवींद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में कार्यदायी संस्था द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं देने पर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। पूछा है कि आठ माह में 18 प्रतिशत काम हुआ है तो शेष सात महीने में 82 प्रतिशत कार्य कैसे पूरा होगा। दैनिक जागरण ने 17 दिसंबर के अंक में 'आठ माह में 18 प्रतिशत तो सात महीने में कैसे पूरा होगा 82 प्रतिशत काम' खबर प्रकाशित कर सवाल उठाया था।

शिवपुर मिनी स्टेडियम का वाराणसी विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से 6.15 करोड़ में जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। विकास प्राधिकरण ने मेसर्स रवींद्र चौधरी को जीर्णोद्धार करने ठेका दिया है। शिवपुर मिनी स्टेडियम में काम शुरू हुआ तो क्षेत्रीय लोग काफी उत्साहित थे। वीडीए अभियंता का मानना है कि अप्रैल माह में योजना का शिलान्यास हुआ था, ऐसे में एक माह छोड़ दिया जाए तो आठ माह में प्रगति काफी धीमी है। जबकि पूर्व वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा कार्यभार ग्रहण करने के साथ निरीक्षण करने पहुंच गए। तेजी से काम करने का निर्देश दिया लेकिन योजना में कोई तेजी नहीं आई।

जागरण प्रभाव

17 दिसंबर की प्रकाशित खबर

- तीन दिन में जवाब नहीं देने पर करेंगे ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई
- अधिशासी अभियंता को मानीटरिंग करने का दिया निर्देश

"कार्यदायी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन में जवाब मांगा गया है। स्पष्ट जवाब नहीं देने पर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिशासी अभियंता को योजना की मानीटरिंग करने का निर्देश दियां गया है जिससे योजना समय पर पूरी हो सके।

–पुर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वीडीए।

आज–दि0 21.12.2025

अवैध प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्णबोरा के निर्देशपर शनिवार को नौ बीघा पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ काररवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया। मौजा सरसवां जोन शिवपुर कास्तकार रजनीश सिंह लगभग दो बीघा जमीनपर अवैध प्लाटिंग करा रहे थे। इसी वार्ड में मौजा चौका में कास्तकार शनि सिंह भी दो बीगहा पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे जबकि इसी मौजा में एक बीघा जमीनपर काश्तकार प्रमोदपाल बिना ले आउट पास किये अवैध प्लाटिंग करा रहे थे। जोन दो वार्ड सारनाथ में मुनारी बोधित्व में काश्तकार अरविंद सिंह बिना ले आउट स्वीकृत के चार बीघा जमीनपर अवैध प्लाटिंग करा रहे थे। मौके पर पहुंचे डाक्टर गूडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक शरद जोशी, जोनल अधिकारी, शिवाजी मिश्र और प्रकाश कुमार अवर अभियंता रोहित, वर्तिका दूबे के अलावा क्षेत्रीय सुपरवाइजर, स्थानीय थाने की पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन विभाग के कर्मचारियों ने प्रवर्तन विभाग के जेसीबी की मदद से अवैध प्लाटिंग पर किये गये निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

दैनिक जागरण–दि0 21.12.2025

वीडीए से बिना लेआउट पास कालोनी में नहीं खरीदें प्लाट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण से बिना लेआउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों से अलर्ट रहने और वहां जमीन नहीं खरीदने को लेकर शनिवार को वीडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता दो वाहनों को रवाना किया। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरो ने हरीं झंडी दिखाकर दोनों जागरूकता वाहनों को रवाना किया। जागरूकता वैन पर वीडीए की ओर से चलाई जा रही योजना और अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों से सजग रहने की अपील की गई है।

जन-जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा।

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक मकान हो। मकान बनाने को लेकर लोग जमीन खरीदते हैं लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि कालोनी का वीडीए से ले-आउट पास नहीं है। विभागीय कार्रवाई होने पर वे हैरान हो जाते हैं और उनको आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में वीडीए की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जमीन खरीदने से पहले वीडीए से मालूम कर रहे हैं लेकिन कालोनी का ले-आउट पास है या नहीं। इस अवसर पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा, अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार आदि लोग मौजूद थे।

वीडीए ने बुलडोजर से तोड़ी अवैध प्लाटिंग : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर शनिवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के सरसवा में रजनीश सिंह दो बीघा, चोलापुर में सन्नी सिंह दो बीघा और चौका, भुसौला लक्ष्मी वस्त्रालय के पास वाली गली में प्रमोद पाल करीब एक बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के मुनारी बोधिसत्व स्नाकोत्तर महाविद्यालय के पास अरविंद सिंह चार बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। सभी बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 21.12.2025

वीडीए के कई अभियंताओं के बदले कार्यक्षेत्र

जासं, वाराणसी : वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने शनिवार को प्रशासनिक बदलाव के तहत जोन एक जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा को निर्माण अनुभाग में भेजा है। सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी को पूर्व कार्यों के साथ जोन एक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्माण अनुभाग के सहायक अभियंता अशोक त्यागी और अवर अभियंता संजय तिवारी को जोन पांच में भेजा गया है। जोन पांच के अवर अभियंता राजू कुमार को निर्माण अनुभाग में भेजा गया है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 21.12.2025

अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के क्रम में जन-जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ

वाराणसी। विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की विस्तार योजना में नवसम्मिलित 215 ग्रामों के ग्रामीण

नागरिकों को जागरूक करने, अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा प्राधिकरण के नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष जन-जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा द्वारा दो प्रचार-प्रसार टोटो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन टोटो वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों तक भवन निर्माण से संबंधित नियम, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया, नियोजन मानक तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की जानकारी सरल एवं सहज भाषा में पहुँचाई जाएगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण का निरंतर प्रयास है कि क्षेत्र में विकास कार्य पारदर्शी, योजनाबद्ध एवं नियमों के अनुरूप हों। उन्होंने बताया कि अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण हेतु जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया, भवन निर्माण मानकों तथा अवैध निर्माणों से उत्पन्न होने वाली कानूनी एवं तकनीकी समस्याओं के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान ग्रामीण नागरिकों को सुनियोजित विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमसम्मत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा अनाधिकृत निर्माणों में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस अवसर पर सचिव महोदय डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव श्री गुड़ाकेश शर्मा, नगर नियोजक श्री प्रभात कुमार सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

twitter : vcvdavns f: Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 21.12.2025

नौ बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने शनिवार को विभिन्न स्थानों पर नौ बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। शिवपुर वार्ड में सरसवां में रजनीश सिंह की लगभग 2 बीघा, चौका चोलापुर में सन्नी सिंह की 2 बीघा में, भुसौला में प्रमोद पाल की लगभग 1 बीघा पर कार्रवाई हुई। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, श्रीप्रकाश कुमार आदि मौजूद रहे।

भवन निर्माण के मानकों पर किया जागरूक

वाराणसी। अवैध प्लॉटिंग तथा वीडीए के नियमों पर प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल नए क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू हुआ। शनिवार को वीडीए मुख्यालय से उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने प्रचार-प्रसार के लिए दो वाहनों को रवाना किया। लोगों को भवन निर्माण से संबंधित नियमों, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया, नियोजन मानकों को सरल भाषा में बताया जा रहा है। इस मौके पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार आदि मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 21.12.2025

वाविप्रा जोन–1 ,जोन– 2 की प्रवर्तन टीम द्वारा 9 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन-1 ,जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 9 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।कार्यवाही का विवरण -. जोन-1 (वार्ड-शिवपुर):मौजा-सरसवॉं, रजनीश सिंह द्वारा लगभग 02 बीघा में अवैध प्लाटिंग।मौजा- चौका, चोलापुर में सन्नी सिंह द्वारा लगभग 02 बीघा में अवैध प्लाटिंग। मौजा-चौका, भुसौला लक्ष्मी वस्त्रालय के बगल वाली गली में प्रमोद पाल द्वारा लगभग 01 बीघा में अवैध प्लाटिंग। उक्त दोनों स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 20/12/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के तहत किया गया, सूचना करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया। जोन-2 (वार्ड-सारनाथ)मौजा- मुनारी बोधिसत्व सनकोत्तर महाविद्यालय के समीप में अरविन्द सिंह द्वारा लगभग 4 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 20/12/2025 को धारा-27 के तहत सूचना किया गया, सूचना करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक श्री सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियंता श्री रोहित,वर्तिका दुबे उपस्थित रहे।